S.No. District (ZSS)	1995-96	1996-97
9. Gorakhpur	40,00,000	
10. Banda	1,48,65,000	
11. Lucknow	1,15,87,000	
12. Bhadoi	40,00,000	
13. Ghaziabad	13,64,000	
14. Etah	30,00,000	
15. Aligarh	1,39,20,000	
16. Saharanpur	10,00,000	64,17,000
17. Balia		40,00,000
18. Pauri Garwal		20,00,000
19. Sonbhadra		43,00,000
20. Nainital		18,00,000
21. Udham Singh Nagar		43,50,000
22. Haridwar		47,80,000
23. Ambedkar Nagar		15,00,000
24. Varanasi		51,00,000
25. Bulandshahar		23,18,000

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परियोजनाएं

2956. **श्रीमती मालती शर्मा**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन –कौन सी परियोजनाओ को कार्यन्वित किया गया थाअ और अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विचार के लिये अग्रेषित किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय महिला कोष को आवंटित धनराशि

2957. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या संपूर्ण धनराशि देश में जरुरतमंद महिलाओं को उपलब्ध करा दी गई है; तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या जरुरतमन्द महिलाओं को ऐसी सहायता गैर –सरकारी संगठनों द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है;

(घ) यदी हां, तो इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, और

(ड़) क्या कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए पंजीकृत संगठन का होना अनिवार्य है, यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) राष्ट्रीय महिला कोष के लिए वर्ष 1995-96 के बजट में एक लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया था। तथापि, कोष को कोरपस निधि प्रदान की गयी है, जिसमें वर्ष 1995-96 में 42 करोड़ रुपये का राशि उपलब्ध थी।

(ख) वर्ष 1996-96 में, 37,502 महिलाओं को ऋण प्रदान करने के लिए 48 गैर –सरकारी संगठनों को 861 लाख रुपये ऋण स्वीकृत किया गया है। इस अवधि में मुख्य स्कीम के अन्तर्गत 534.126 लाख रुपये वितरित किये गए, जिससे लगभग 24.270 महिलाए लाभान्वित हुई।

(ग) इस विभाग के पास इस आशय की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि जरुरतमंद महिलाओं को अन्य गैर –सकरारी संगठनों द्वारा भी इस प्रकार की